



Committed To Excellence

DAILY **CURRENT AFFAIRS** **ANALYSIS**

(Pre+Mains) with MCQ



 | **2 JUNE**
2026

 FOR PDF DOWNLOAD
GS WORLD LEARNING APP 

Today Important

Current Affairs Analysis

2nd June 2026

राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में अवैध रेत खनन: सर्वोच्च न्यायालय का स्वतः संज्ञान — तीन राज्यों को कड़ी फटकार

राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पर SC सख्त — घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन और Red-Crowned Roofed Turtle के अस्तित्व पर खतरा

2 जून, 2026 | पर्यावरण एवं जैव विविधता | सर्वोच्च न्यायालय

- सर्वोच्च न्यायालय ने **राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य** और उसके आसपास लगातार हो रहे अवैध रेत खनन पर स्वतः संज्ञान लेते हुए **राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश** को कड़ी फटकार लगाई है। यह मामला एक ऐसे संरक्षित क्षेत्र का है जहां IUCN की critically endangered प्रजाति **घड़ियाल** की आखिरी viable आबादी निवास करती है।

अवैध रेत खनन क्या है?

- कानूनी स्थिति:** रेत को **Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957** के तहत एक **minor mineral** के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- परिभाषा:** Minerals Concession Rules, 2016 के अनुसार, आवश्यक mineral concession के बिना reconnaissance, prospecting या mining करना अवैध खनन है। MMDR Act के तहत valid prospecting licence, mining lease, composite licence के बिना या Section 23C के नियमों का उल्लंघन करके खनिज निकालना या परिवहन करना अवैध खनन है।
- दुष्प्रभाव:** पारिस्थितिक क्षरण, जैव विविधता हानि, खनन माफिया के कारण कानून-व्यवस्था की चुनौतियां और राजस्व हानि सहित सामाजिक-आर्थिक लागत।

अवैध रेत खनन के विरुद्ध सुरक्षा तंत्र

- दिशानिर्देश:** MoEFCC की **Sustainable Sand Mining Management Guidelines (2016)** और **Enforcement & Monitoring Guidelines (2020)**।
- तकनीक-आधारित निगरानी:** **Mining Surveillance System (MSS)** उपग्रह imagery का उपयोग करती है।
- Mineral Conservation and Development Rules, 2017:** end-to-end mineral accounting अनिवार्य करते हैं।
- दंड:** MMDR Amendment Act, 2015 उच्च जुर्माना, **5 वर्ष तक कारावास** और त्वरित सुनवाई के लिए special courts का प्रावधान करता है।

राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य

यह एक संरक्षित क्षेत्र है जिसे **1979** में स्थापित किया गया था।

- स्थान:** चंबल नदी पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के **tri-junction** के निकट।
- अन्य प्रजातियां:** Red-Crowned Roofed Turtle, गंगा नदी डॉल्फिन और अन्य दुर्लभ जलीय जीव।

घड़ियाल (Gavialis gangeticus)

- वितरण क्षेत्र:** भारत में गंगा की सहायक नदियां — चंबल और गिरवा नदियां; नेपाल में Rapti-Naryani नदी।

- **संरक्षण स्थिति:** IUCN — **Critically Endangered** (गंभीर रूप से संकटग्रस्त)। Wildlife Protection Act — **Schedule I** और **Schedule IV**। CITES — **Appendix I** (सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संरक्षण)।

महत्व

- **SC का हस्तक्षेप क्यों महत्वपूर्ण:** चंबल अभयारण्य भारत में घड़ियाल का अंतिम viable habitat है। रेत खनन से नदी की morphology बदलती है — रेत के किनारे नष्ट होते हैं जो घड़ियाल के घोंसले बनाने और अंडे देने के लिए अनिवार्य हैं। गंगा डॉल्फिन के लिए भी नदी की गहराई और प्रवाह का संरक्षण जीवन-मरण का प्रश्न है।
- **राज्यों की विफलता:** तीनों राज्यों द्वारा खनन माफिया पर नियंत्रण न कर पाना दर्शाता है कि minor minerals का state-level regulation कितना कमज़ोर है। MSS और satellite monitoring होने के बावजूद जमीनी enforcement नहीं हो रही।
- **व्यापक संदर्भ:** भारत में अवैध रेत खनन एक राष्ट्रीय संकट है — यह न केवल पर्यावरण बल्कि नदियों की जल धारण क्षमता, भूजल पुनर्भरण और बाढ़ नियंत्रण को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

स्रोत: सर्वोच्च न्यायालय निर्णय | MoEFCC | Pib | TOI

AUKUS: Indo-Pacific में शक्ति संतुलन की नई धुरी — 2027 से ऑस्ट्रेलिया में US पनडुब्बियों की तैनाती

उन्नत underwater drones के विकास और गहरे समुद्री सहयोग की घोषणा — भारत के लिए अवसर और चुनौती दोनों

1 जून, 2026 | अंतर्राष्ट्रीय संगठन | Indo-Pacific

AUKUS के सदस्य देशों — ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका — ने गहरे समुद्री सहयोग की घोषणा की है जिसमें उन्नत **underwater drones** का विकास और **2027 से ऑस्ट्रेलिया में अमेरिकी पनडुब्बियों की विस्तारित तैनाती** शामिल है। यह कदम Indo-Pacific क्षेत्र में रणनीतिक शक्ति संतुलन को एक नई दिशा देता है।

AUKUS क्या है?

AUKUS ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच **2021** में स्थापित एक रणनीतिक रक्षा गठबंधन है।

- **उद्देश्य:** तीनों देशों की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना, तकनीकी एकीकरण में तेजी लाना और Indo-Pacific क्षेत्र को स्थिर करने के सामूहिक प्रयास के हिस्से के रूप में तीनों देशों की औद्योगिक क्षमता का विस्तार करना।

दो स्तंभ

Pillar 1 — पनडुब्बी क्षमता:

- यह तीनों देशों की जहाज निर्माण क्षमताओं के विकास पर केंद्रित है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटक है ऑस्ट्रेलिया का अपनी पहली **SSN — Nuclear-powered Attack Submarines** का अधिग्रहण। यह ऐतिहासिक है क्योंकि इससे पहले केवल अमेरिका और यूके ने किसी अन्य देश को परमाणु पनडुब्बी प्रौद्योगिकी साझा की थी।

Pillar 2 — उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी:

- आठ उन्नत सैन्य क्षमता क्षेत्रों का संयुक्त विकास जिनमें शामिल हैं — Autonomy, Artificial Intelligence (AI), Electromagnetic Warfare, Modelling and Simulation, और अन्य। नवीनतम घोषणा के अनुसार **advanced underwater drones** का विकास इसी pillar का हिस्सा है।

हालिया घोषणाओं का महत्व

- **2027 से ऑस्ट्रेलिया में US पनडुब्बी तैनाती:** यह Indo-Pacific में अमेरिकी नौसैनिक उपस्थिति को एक 恒久 आधार देता है — जो चीन की बढ़ती समुद्री शक्ति के प्रत्युत्तर में एक स्पष्ट रणनीतिक संकेत है।
- **Underwater Drones का विकास:** ये autonomous underwater vehicles (AUVs) भविष्य के समुद्री युद्ध का अभिन्न अंग बनेंगे — पनडुब्बी detection, समुद्री निगरानी और precision strike capabilities के लिए।

भारत के लिए निहितार्थ

- AUKUS का गहरा होता सहयोग भारत के लिए एक जटिल रणनीतिक समीकरण प्रस्तुत करता है।
- *अवसर की दृष्टि से* — AUKUS और Quad दोनों Indo-Pacific में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के साझा उद्देश्य से प्रेरित हैं। AUKUS की मजबूत उपस्थिति भारत के लिए समुद्री सुरक्षा वातावरण को अनुकूल बनाती है।
- *चुनौती की दृष्टि से* — AUKUS की परमाणु पनडुब्बी technology sharing NPT ढांचे पर सवाल उठाती है। भारत की 'strategic autonomy' नीति के तहत वह किसी भी military bloc का हिस्सा नहीं बनना चाहता।
- *क्षेत्रीय प्रतिक्रिया* — आसियान देशों में AUKUS को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया है। कुछ देश इसे क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने वाला मानते हैं।

निष्कर्ष

- AUKUS केवल एक रक्षा गठबंधन नहीं बल्कि Indo-Pacific की भू-राजनीतिक पुनर्संरचना का एक प्रमुख instrument है। Underwater drones और परमाणु पनडुब्बियों के संयोजन से AUKUS सदस्य देशों की समुद्री श्रेष्ठता एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगी — जो 21वीं सदी के समुद्री शक्ति संतुलन को निर्णायक रूप से प्रभावित करेगी।

PM SVANidhi के 6 वर्ष: रेहड़ी-पटरी वालों की आर्थिक क्रांति — ₹17,800 करोड़ से बढ़ली 75 लाख जिंदगियां

June 2020 में लॉन्च — 2025 में पुनर्गठित, 2030 तक विस्तारित — PM Award for Excellence in Public Administration 2023 से सम्मानित

1 जून, 2026 | सरकारी योजना | आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय

PM Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) योजना के छह वर्ष पूर्ण हो गए हैं। जून 2020 में लॉन्च यह योजना देश के उन करोड़ों रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के लिए एक transformative initiative साबित हुई है जो अब तक औपचारिक वित्तीय प्रणाली से वंचित थे। इन छह वर्षों में यह योजना न केवल एक ऋण कार्यक्रम बल्कि financial inclusion, digital empowerment और महिला सशक्तिकरण का एक समग्र मंच बन गई है।

PM SVANidhi के बारे में

- **मंत्रालय:** आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय (MoHUA)।
- **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्र योजना।
- **अवधि:** जून 2020 से 2030 तक। इसे 2025 में पुनर्गठित किया गया और ऋण अवधि को 2024 से बढ़ाकर **31 मार्च 2030** कर दिया गया।
- **परिचय:** ₹7,332 करोड़।
- **कार्यान्वयन:** MoHUA और वित्तीय सेवा विभाग (DFS) द्वारा संयुक्त रूप से।

छह वर्षों की प्रमुख उपलब्धियां

1. **ऋण सहायता:** लगभग **1 करोड़ ऋण** सुगम बनाए गए और बिना collateral के **₹17,800 करोड़ से अधिक** वितरित किए गए। यह उन विक्रेताओं के लिए ऐतिहासिक है जो पहले साहूकारों पर निर्भर थे।
2. **लाभार्थी कवरेज:** **75.5 लाख से अधिक** रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को औपचारिक वित्त तक पहुंच प्रदान करके सशक्त किया गया। योजना ने लाभार्थियों की औसत आय में **20% वार्षिक वृद्धि** दर्ज की है।
3. **महिला सशक्तिकरण:** **34.81 लाख महिला रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं** को लक्षित वित्तीय सहायता से लाभान्वित किया गया — जो योजना की gender-sensitive implementation को दर्शाता है।

4. **डिजिटल समावेशन: 55 लाख से अधिक** रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को डिजिटल रूप से onboarded किया गया — cashless transactions को बढ़ावा देकर उन्हें digital economy की मुख्यधारा से जोड़ा गया।
5. **पुरस्कार:** योजना को नवाचार (केंद्रीय स्तर) के लिए **Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration 2023** से सम्मानित किया गया।

योजना का उद्देश्य

PM SVANidhi का मूल उद्देश्य रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं की कमजोरियों को तीन स्तरों पर संबोधित करना है — औपचारिक ऋण तक पहुंच, डिजिटल भुगतान में शामिल करना और सामाजिक सुरक्षा का विस्तार। COVID-19 महामारी के दौरान जब इस वर्ग की आजीविका सबसे अधिक प्रभावित हुई थी, ठीक उसी समय इस योजना का लॉन्च इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है।

महत्व

- **Financial Inclusion का व्यावहारिक मॉडल:** PM SVANidhi ने सिद्ध किया कि collateral-free micro-credit असंगठित क्षेत्र में genuine economic mobility ला सकता है। 20% वार्षिक आय वृद्धि इसका ठोस प्रमाण है।
- **डिजिटल India का जमीनी रूप:** 55 लाख विक्रेताओं का डिजिटल onboarding UPI और cashless economy को समाज के सबसे निचले स्तर तक ले जाने का व्यावहारिक उदाहरण है।
- **शहरी गरीबी उन्मूलन:** यह योजना शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को formal banking system से जोड़ने का एक सेतु है — जो SDG 1 (No Poverty) और SDG 8 (Decent Work) दोनों के अनुरूप है।
- **2030 तक विस्तार का संदेश:** योजना को 2025 में पुनर्गठित कर 2030 तक विस्तारित करना सरकार की इस प्रतिबद्धता का संकेत है कि रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं का financial empowerment एक दीर्घकालिक राष्ट्रीय प्राथमिकता है।

स्रोत: DD News | आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय | वित्तीय सेवा विभाग

ALMM List-II: सौर सेल के लिए घरेलू सोर्सिंग की अनिवार्यता लागू — 1 जून 2026 से नया युग शुरू

MNRE ने विस्तार देने से किया इनकार — Atmanirbhar Bharat की दिशा में बड़ा कदम, लेकिन क्षमता अंतर की चुनौती बरकरार

1 जून, 2026 | सरकारी योजना | नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने **Approved List of Models and Manufacturers (ALMM) List-II** के कार्यान्वयन को 1 जून 2026 से परे कोई blanket extension देने से इनकार कर दिया है। इसका अर्थ है कि अब सरकारी और सरकार-सहायता प्राप्त सौर परियोजनाओं में केवल ALMM-अनुमोदित घरेलू **सौर PV cells** का ही उपयोग अनिवार्य होगा।

ALMM क्या है?

ALMM — Approved List of Models and Manufacturers — MNRE द्वारा अनुमोदित सौर photovoltaic (PV) modules और manufacturers की एक सूची है। इसे **2019** में MNRE द्वारा सौर PV modules की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और घरेलू सोर्सिंग सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था।

- **दो सूचियां:** ALMM में दो सूचियां हैं — **List-I:** Solar PV Modules के लिए — पहले से लागू। **List-II:** Solar PV Cells के लिए — अब 1 जून 2026 से लागू।
- **अनिवार्यता:** केवल ALMM में शामिल solar PV modules और cells का ही उपयोग अधिसूचित परियोजनाओं में किया जा सकता है — जिनमें सरकारी परियोजनाएं, सरकार-सहायता प्राप्त परियोजनाएं, open access और net-metering परियोजनाएं शामिल हैं।

ALMM List-II का औचित्य और महत्व

- **नीतिगत निश्चितता:** एक स्थिर नियामक ढांचा प्रदान करता है जो निवेशकों और निर्माताओं को दीर्घकालिक योजना बनाने में सक्षम बनाता है।
- **घरेलू विनिर्माण को बल:** एक स्वदेशी सौर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को समर्थन देता है — जो भारत के सौर ऊर्जा लक्ष्यों की आत्मनिर्भर नींव तैयार करेगा।
- **आपूर्ति श्रृंखला में आत्मनिर्भरता:** नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं में आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है और आयात निर्भरता को कम करता है — विशेष रूप से चीन से सौर cells के आयात पर।

प्रमुख चुनौतियां

- **क्षमता असंतुलन:** भारत की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि देश में solar module capacity लगभग **200 GW** है जबकि solar cell capacity केवल **~30 GW** है। यह विशाल अंतर घरेलू आपूर्ति पर दबाव डालेगा।
- **छोटे निर्माताओं पर दबाव:** छोटे और गैर-एकीकृत निर्माताओं को आपूर्ति बाधाओं और उच्च input costs का सामना करना पड़ सकता है।
- **बाजार एकीकरण का जोखिम:** बड़े एकीकृत खिलाड़ियों पर बढ़ती निर्भरता से प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है — जो दीर्घकालिक innovation के लिए अच्छा नहीं होगा।
- **परियोजना लागत में वृद्धि:** अधिक महंगी घरेलू cells अल्पकालिक रूप से समग्र सौर परियोजना लागत बढ़ा सकती हैं — जो भारत के 500 GW नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य की प्रगति को कुछ हद तक प्रभावित कर सकता है।

महत्व

- ALMM List-II का लागू होना भारत की solar manufacturing value chain में **backward integration** की दिशा में एक रणनीतिक निर्णय है।
- अभी तक भारत modules बनाता था लेकिन cells के लिए आयात पर निर्भर था — List-II इस निर्भरता को तोड़ने का प्रयास है। यह PLI scheme for Solar PV Manufacturing के साथ मिलकर भारत को वैश्विक सौर आपूर्ति श्रृंखला में एक integrated player बनाने की दिशा में काम करेगा।

स्रोत: MNRE

MAHA Water Mission: जल क्षेत्र में नवाचार की नई लहर — ₹200 करोड़ की राष्ट्रीय

पहल लॉन्च

ANRF, जल शक्ति मंत्रालय और ISRO का त्रिकोणीय सहयोग — Startups और MSMEs को मिलेगा ₹20 करोड़ तक का अनुदान

31 मई, 2026 | सरकारी योजना | जल शक्ति मंत्रालय

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और जल शक्ति मंत्री ने संयुक्त रूप से **₹200 करोड़ की MAHA Water Mission** का शुभारंभ किया। यह मिशन जल क्षेत्र में नवाचार को गति देने और मौलिक अनुसंधान को जमीनी स्तर पर तैनाती तक लाने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कार्यक्रम है।

MAHA Water Mission क्या है?

- **MAHA (Missions for Advancement in High-impact Areas) Water Mission** एक उच्च-प्राथमिकता वाला राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो मौलिक अनुसंधान और क्षेत्रीय तैनाती के बीच की खाई को पाटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उच्च प्रभाव वाले जल समाधानों के प्रौद्योगिकी विकास, सत्यापन और व्यावसायीकरण के लिए एक एकीकृत मार्ग के रूप में कार्य करता है।

शामिल संगठन

यह मिशन तीन प्रमुख संस्थाओं का सहयोगात्मक प्रयास है —

- **Anusandhan National Research Foundation (ANRF):** भारत में अनुसंधान वित्तपोषण को लोकतांत्रिक और सुव्यवस्थित करने का प्राथमिक निकाय।
- **जल शक्ति मंत्रालय:** जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प के लिए नोडल मंत्रालय।
- **अंतरिक्ष विभाग / ISRO:** जल मानचित्रण और आकलन के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकियां और geospatial data प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **वित्तीय सहायता:** पांच वर्षों में ₹200 करोड़ का अनुमानित परिव्यय। चयनित बहु-विषयक consortia को ₹20 करोड़ तक का अनुदान मिल सकता है।
- **बहु-विषयक Consortia:** विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संगठनों, Startups, MSMEs और उद्योग भागीदारों का मिश्रण।
- **Open Call for Proposals:** मिशन में Startups और MSMEs के लिए विशेष रूप से Product और Prototype Development के लिए एक dedicated Open Call शामिल है — यह सुनिश्चित करता है कि नवाचार केवल बड़े संस्थानों तक सीमित न रहे।
- **पांच प्राथमिकता विषय:**
 - पहला — जल संसाधन आकलन और टिकाऊ प्रबंधन। दूसरा — पेयजल (गुणवत्ता और पहुंच)। तीसरा — जल गुणवत्ता और पारिस्थितिकीय स्वास्थ्य। चौथा — जल उपयोग दक्षता और Circular Economy। पांचवां — जलवायु लचीलापन और अनुकूलन।
- **डिजिटल एकीकरण:** Jal Sanchay Jan Bhagidari, Citizen Tracking and Reporting (JSJB-CTR) Portal और App के लॉन्च के साथ real-time monitoring और सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

महत्व

- **समावेशी अनुसंधान वित्तपोषण:** MAHA Water Mission प्रमुख संस्थानों से परे विश्वविद्यालयों, Startups और युवा शोधकर्ताओं तक वित्तपोषण का विस्तार करती है — जो देश भर में नवाचार को बढ़ावा देगा।
- **ISRO का उपयोग:** ISRO के satellite data का उपयोग भूजल मानचित्रण और सिंचाई योजना के लिए होगा — जो वैज्ञानिक और जलवायु-अनुकूल जल प्रबंधन को समर्थन देगा।
- **जल संकट का समाधान:** भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता तेजी से घट रही है। MAHA Water Mission इस संकट को तकनीकी नवाचार, startup ecosystem और नागरिक भागीदारी के माध्यम से एक साथ संबोधित करने का प्रयास है।
- **NEP 2020 और Anusandhan के साथ संरेखण:** ANRF की भागीदारी MAHA Water Mission को NEP 2020 के अनुसंधान और नवाचार लक्ष्यों से जोड़ती है — जो भारत को एक global research hub बनाने की दिशा में एक व्यावहारिक कदम है।

स्रोत: DD News | जल शक्ति मंत्रालय | ANRF | ISRO

Right to be Forgotten: दिल्ली उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला — Article 21 के तहत मिला डिजिटल गोपनीयता का अधिकार

Justice Sachin Datta ने दिया व्यापक ढांचा — De-indexing और Masking Protocol से संतुलित होगा व्यक्तिगत गरिमा और सार्वजनिक हित का टकराव

31 मई, 2026 | संविधान एवं राजव्यवस्था | दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में 'Right to be Forgotten' (भुलाए जाने का अधिकार) को संविधान के Article 21 के तहत निजता के अधिकार का एक अभिन्न अंग मान्यता दी है। यह निर्णय डिजिटल युग में व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा की दिशा में एक मील का पत्थर है — जहां इंटरनेट पर दर्ज अतीत की जानकारियां व्यक्ति के वर्तमान और भविष्य को स्थायी रूप से प्रभावित कर सकती हैं।

Right to be Forgotten क्या है?

- Right to be Forgotten (RTBF) किसी व्यक्ति का वह अधिकार है जिसके तहत वह **विशेष परिस्थितियों में** अपनी व्यक्तिगत जानकारी — जैसे पुराने आपराधिक रिकॉर्ड या निजी विवाद — को इंटरनेट खोजों और अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से हटा सकता है।
- यह अधिकार **informational self-determination** के सिद्धांत पर आधारित है — यह मानते हुए कि जब कोई जानकारी अब प्रासंगिक नहीं रही या जब उस जानकारी को जानने में सार्वजनिक हित, व्यक्ति के गरिमा और प्रतिष्ठा के अधिकार से कम हो जाए — तो उसे हटाया जाना चाहिए।

ऐतिहासिक विकास

- **यूरोपीय उद्गम:** यह अवधारणा 2014 में European Court of Justice के **Google Spain v. AEPD** निर्णय के बाद वैश्विक स्तर पर प्रमुखता से उभरी। इस निर्णय में कहा गया कि search engines को ऐसे links हटाने होंगे जो किसी व्यक्ति के बारे में अपर्याप्त, अप्रासंगिक या अत्यधिक जानकारी प्रदान करते हों। अब यह EU के **General Data Protection Regulation (GDPR)** में संहिताबद्ध है।
- **भारतीय संदर्भ:** भारतीय संविधान में RTBF का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के 2017 के **K.S. Puttaswamy निर्णय** ने निजता को एक मौलिक अधिकार घोषित किया — जिसने RTBF के लिए आधार तैयार किया।
- **विधायी स्थिति: Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023** में व्यक्तिगत डेटा के सुधार, पूर्णता और **erasure** के प्रावधान शामिल हैं — जो भारत में इस अधिकार को वैधानिक आधार प्रदान करते हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला

Justice Sachin Datta ने व्यक्तिगत गरिमा और सार्वजनिक जानने के अधिकार के बीच संतुलन बनाने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रस्तुत किया —

- **De-indexing Mandate:** प्लेटफॉर्म को विशेष मामलों के लिए नाम-आधारित खोज कार्यक्षमता को निष्क्रिय करना होगा। इसका अर्थ है कि न्यायिक निर्णय ऑनलाइन तो रहेगा लेकिन व्यक्ति का नाम search करने पर नहीं मिलेगा।
- **राहत का दायरा:** सुरक्षा मुख्य रूप से तीन श्रेणियों को मिलेगी — आपराधिक आरोपों से बरी व्यक्ति, वैवाहिक या निजी दीवानी विवादों में शामिल पक्ष, और ऐसे व्यक्ति जिनके नाम संयोगवश किसी रिकॉर्ड में आ गए हों जबकि वे उस मामले के पक्षकार नहीं थे।
- **Masking Protocol:** न्यायालय ने आदेश दिया कि व्यक्तिगत पहचानकर्ता जैसे नाम और पते को masked/redacted किया जाए — जबकि निर्णय का कानूनी तर्क और निष्कर्ष न्यायिक पारदर्शिता के लिए सार्वजनिक रहेंगे। यह **पूर्ण विलोपन और पूर्ण प्रकटीकरण** के बीच का संतुलित रास्ता है।
- **Intermediary की जिम्मेदारी:** न्यायालय ने स्पष्ट किया कि search engines स्वचालित algorithms के माध्यम से काम करते हैं और किसी व्यक्ति के मौलिक सूचनात्मक निजता अधिकार को override नहीं कर सकते। IT Rules 2021 के तहत वे ऐसे removal orders का पालन करने के लिए बाध्य हैं।

महत्व

- **डिजिटल कलंक से सुरक्षा:** यह निर्णय digital stigmatization को रोकता है — जहां न्यायालय द्वारा बरी होने के बाद भी व्यक्ति को पुराने कानूनी मामलों के कारण आजीवन व्यावसायिक या सामाजिक पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता था।
- **डिजिटल युग की वास्तविकता की मान्यता:** यह निर्णय स्वीकार करता है कि जहां रिकॉर्ड virtually अमिट हैं वहां कानून को इतना विकसित होना चाहिए कि अतीत का डेटा किसी व्यक्ति के भविष्य को हमेशा के लिए न सताए।
- **संतुलित दृष्टिकोण:** पूर्ण deletion की जगह masking की वकालत करके न्यायालय ने सुनिश्चित किया कि कानून शोध और न्यायिक मिसाल के लिए सुलभ रहे — लेकिन व्यक्तिगत उत्पीड़न का साधन न बने।
- **DPDP Act 2023 से तालमेल:** यह निर्णय DPDP Act के erasure प्रावधानों को न्यायिक समर्थन देता है और भविष्य में इसके rules बनाने में दिशा-निर्देश का काम करेगा।

स्रोत: Economic Times | दिल्ली उच्च न्यायालय

ESIC का केंद्रीकृत डिजिटल रोगी प्रतिक्रिया प्रणाली: स्वास्थ्य सेवा में जवाबदेही का नया युग

SMS, QR Code और OTP के जरिए मिलेगी instant feedback — 3 से कम रेटिंग पर automatic escalation

1 जून, 2026 | विविध | श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

Employees' State Insurance Corporation (ESIC) ने अपने सभी अस्पतालों और dispensaries में एक nationwide, centralized डिजिटल रोगी प्रतिक्रिया प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली लाखों श्रमिक वर्ग के लाभार्थियों को ESIC स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर तत्काल और प्रामाणिक प्रतिक्रिया देने का अधिकार देती है।

यह प्रणाली क्या है?

- यह एक उन्नत, omnichannel डिजिटल सार्वजनिक शिकायत और गुणवत्ता-आश्वासन प्लेटफॉर्म है। यह लाभार्थियों को अपने स्वास्थ्य सेवा अनुभव को तुरंत rate करने की अनुमति देता है — जिससे प्रशासन सेवा benchmarks को track कर सके और स्थानीय परिचालन कमियों को तत्काल दूर कर सके।

यह काम कैसे करती है?

- Omnichannel Feedback Triggers:** जब कोई रोगी केंद्रीकृत ESIC Health Information System — **Dhanwantri Module** — के माध्यम से चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करता है, तो एक स्वचालित प्रणाली उसके registered mobile number पर SMS के माध्यम से एक direct feedback link भेजती है। वैकल्पिक रूप से रोगी OPDs में बहुभाषी posters पर प्रदर्शित QR codes scan करके भी feedback दे सकते हैं।
- Secure OTP Validation:** डेटा की प्रामाणिकता बनाए रखने और fraudulent या duplicate entries को समाप्त करने के लिए रोगी अपना Insured Person (IP) Number दर्ज करते हैं जो एक **OTP verification framework** को trigger करता है।
- Granular Metrics Evaluation:** रोगी कुछ ही सेकंड में अपना मूल्यांकन पूरा कर सकते हैं — hospital cleanliness, medical staff behavior और prescribed medicines की तत्काल उपलब्धता जैसे मापदंडों को एक structured scale पर rating देते हुए।
- Automated Escalation Matrix:** यह प्रणाली एक digital tripwire की तरह काम करती है — **5 में से 3 से कम** की कोई भी service rating स्वचालित रूप से एक critical issue के रूप में flag होती है और swift corrective intervention के लिए local administrative dashboards तक पहुंचती है।
- Role-Based Monitoring Dashboards:** संस्थागत, क्षेत्रीय और मुख्यालय स्तर पर daily satisfaction trends की निगरानी के लिए tiered, real-time analytics dashboards।
- Multilingual Interface:** विविध श्रमिक वर्ग के लाभार्थियों के बीच व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए भाषा बाधाओं को समाप्त करता पूर्ण बहुभाषी समर्थन।

महत्व

- तत्काल जवाबदेही:** रोगी feedback को instant digital alerts में बदलकर अस्पताल अधिकारियों को सेवा gaps और परिचालन समस्याओं को शीघ्र दूर करने में सक्षम बनाता है।
- Data-driven प्रतिस्पर्धा:** निरंतर रोगी संतुष्टि डेटा ESI अस्पतालों की ranking में मदद करता है और healthy competition के माध्यम से बेहतर सेवा वितरण को प्रोत्साहित करता है।

- **श्रमिक वर्ग के लिए विशेष महत्व:** ESIC करोड़ों संगठित क्षेत्र के श्रमिकों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि उनकी आवाज़ सुनी जाए और सेवा की गुणवत्ता में सुधार हो।

स्रोत: New Indian Express | ESIC | श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

Question Bank of the day

Q1. Right to be Forgotten के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. दिल्ली उच्च न्यायालय ने RTBF को संविधान के Article 21 के तहत निजता के अधिकार का अभिन्न अंग माना है।
2. De-indexing Mandate के तहत न्यायिक निर्णय को पूरी तरह इंटरनेट से हटाना अनिवार्य है।
3. EU के GDPR में Right to be Forgotten को 2014 के Google Spain v. AEPD निर्णय के बाद संहिताबद्ध किया गया।
4. DPDP Act, 2023 में व्यक्तिगत डेटा के erasure के प्रावधान शामिल हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) केवल तीन
(d) सभी चार

उत्तर: (c) केवल तीन

व्याख्या: कथन 1 सही है — Article 21 के तहत RTBF मान्यता। कथन 2 गलत है — De-indexing Mandate में निर्णय पूरी तरह हटाया नहीं जाता बल्कि केवल नाम-आधारित खोज निष्क्रिय की जाती है। निर्णय ऑनलाइन बना रहता है — यही Masking Protocol का सार है। कथन 3 सही है — 2014 का ECJ निर्णय और GDPR codification सही है। कथन 4 सही है — DPDP Act 2023 में erasure प्रावधान हैं।

Q2. MAHA Water Mission के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. MAHA Water Mission में ANRF, जल शक्ति मंत्रालय और ISRO का सहयोग है।
2. चयनित consortia को ₹50 करोड़ तक का अनुदान मिल सकता है।
3. इस मिशन के पांच प्राथमिकता विषयों में Climate Resilience and Adaptation शामिल है।
4. JSJB-CTR Portal real-time monitoring और सार्वजनिक भागीदारी के लिए लॉन्च किया गया।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) केवल तीन
(d) सभी चार

उत्तर: (c) केवल तीन

व्याख्या: कथन 1 सही है — तीनों संगठनों का सहयोग। कथन 2 गलत है — चयनित consortia को ₹20 करोड़ तक का अनुदान मिलेगा, ₹50 करोड़ नहीं — classic number twist। कथन 3 सही है — Climate Resilience पांचवां प्राथमिकता विषय है। कथन 4 सही है — JSJB-CTR Portal सही है।

Q3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ALMM को MNRE द्वारा 2019 में सौर PV modules की गुणवत्ता और घरेलू सोर्सिंग सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया।
2. ALMM List-I Solar PV Cells के लिए और List-II Solar PV Modules के लिए है।
3. भारत की solar module capacity लगभग 200 GW है जबकि solar cell capacity केवल लगभग 30 GW है।
4. ALMM की अनिवार्यता government projects, open access और net-metering projects पर लागू होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) केवल तीन

(d) सभी चार

उत्तर: (c) केवल तीन

व्याख्या: कथन 1 सही है — 2019 में MNRE द्वारा शुरू। कथन 2 गलत है — **List-I Solar PV Modules** के लिए और **List-II Solar PV Cells** के लिए है — एकदम उल्टा बताया गया है। कथन 3 सही है — 200 GW modules vs 30 GW cells — यही capacity mismatch की मूल समस्या है। कथन 4 सही है — तीनों प्रकार की projects पर लागू।

Q4. PM SVANidhi के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. PM SVANidhi जून 2020 में लॉन्च किया गया और इसे 2025 में पुनर्गठित कर 2030 तक विस्तारित किया गया।
2. इस योजना का कुल परिव्यय ₹17,800 करोड़ है।
3. इस योजना ने 2023 में Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration प्राप्त किया।
4. योजना के तहत 34.81 लाख महिला रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को लाभ मिला।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) केवल तीन

(d) सभी चार

उत्तर: (c) केवल तीन

व्याख्या: कथन 1 सही है — 2020 लॉन्च, 2025 पुनर्गठन, 2030 तक विस्तार। कथन 2 गलत है — योजना का कुल **परिव्यय ₹7,332 करोड़** है। ₹17,800 करोड़ वह राशि है जो **अब तक वितरित** हो चुकी है — दो अलग-अलग आंकड़ों की अदला-बदली। कथन 3 सही है — PM Award 2023 सही है। कथन 4 सही है — 34.81 लाख महिला लाभार्थी।

Q5. AUKUS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. AUKUS 2021 में ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के बीच स्थापित रणनीतिक रक्षा गठबंधन है।
2. AUKUS के Pillar 1 के तहत आठ उन्नत सैन्य क्षमता क्षेत्रों का संयुक्त विकास किया जाएगा।
3. AUKUS की नवीनतम घोषणा के अनुसार 2027 से ऑस्ट्रेलिया में अमेरिकी पनडुब्बियों की तैनाती होगी।
4. Pillar 1 में ऑस्ट्रेलिया के SSN — परमाणु-चालित आक्रमण पनडुब्बी — का अधिग्रहण शामिल है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) केवल तीन

(d) सभी चार

उत्तर: (c) केवल तीन

व्याख्या: कथन 1 सही है — 2021, तीनों देश सही। कथन 2 गलत है — आठ उन्नत सैन्य क्षमता क्षेत्रों का संयुक्त विकास **Pillar 2** के तहत है, Pillar 1 के तहत नहीं। Pillar 1 जहाज निर्माण और SSN अधिग्रहण पर है। कथन 3 सही है — 2027 से ऑस्ट्रेलिया में US पनडुब्बी। कथन 4 सही है — Pillar 1 में SSN अधिग्रहण।

Q6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य 1978 में स्थापित हुआ और यह राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के tri-junction पर स्थित है।
2. घड़ियाल (*Gavialis gangeticus*) की IUCN संरक्षण स्थिति 'Critically Endangered' है।
3. रेत को MMDR Act, 1957 के तहत minor mineral के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
4. MMDR Amendment Act, 2015 अवैध खनन के लिए 5 वर्ष तक कारावास का प्रावधान करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) केवल तीन

(d) सभी चार

उत्तर: (c) केवल तीन

व्याख्या: कथन 1 गलत है — राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य **1979** में स्थापित हुआ था, 1978 में नहीं। Location सही है। कथन 2 सही है — IUCN Critically Endangered। कथन 3 सही है — रेत minor mineral है। कथन 4 सही है — 5 वर्ष कारावास और special courts।

Q7. ESIC Centralized Digital Patient Feedback System

ESIC के Centralized Digital Patient Feedback System के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह प्रणाली ESIC के Dhanwantri Module से एकीकृत है और SMS के माध्यम से feedback link भेजती है।
2. Data authenticity के लिए रोगी अपना Insured Person (IP) Number दर्ज करते हैं जो OTP verification trigger करता है।
3. 5 में से 2 से कम रेटिंग आने पर स्वचालित escalation होती है।
4. यह प्रणाली multilingual interface के साथ आती है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) केवल तीन

(d) सभी चार

उत्तर: (c) केवल तीन

व्याख्या: कथन 1 सही है — Dhanwantri Module integration और SMS link। कथन 2 सही है — IP Number और OTP framework। कथन 3 गलत है — **5 में से 3 से कम** रेटिंग पर automatic escalation होती है, 2 से कम नहीं — threshold number twist। कथन 4 सही है — multilingual interface।

Mains के प्रश्न**Mains Q1 — Right to be Forgotten (GS-2: मौलिक अधिकार, न्यायपालिका, डिजिटल शासन)**

प्रश्न: 'Right to be Forgotten' की अवधारणा, इसके भारतीय संवैधानिक आधार और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित ढांचे का परीक्षण कीजिए। व्यक्तिगत गरिमा और सार्वजनिक जानने के अधिकार के बीच उचित संतुलन कैसे बनाया जाए?

(250 शब्द / 15 अंक)

मॉडल संरचना:

- **भूमिका:** डिजिटल युग में internet records virtually अमिट हैं। K.S. Puttaswamy (2017) ने privacy को मौलिक अधिकार घोषित किया — दिल्ली HC ने इसे Article 21 के तहत RTBF तक विस्तारित किया।
- **वैश्विक संदर्भ:** 2014 Google Spain v. AEPD — ECJ का landmark निर्णय। EU GDPR में codification। भारत में DPDP Act 2023 के erasure प्रावधान।
- **HC का ढांचा:** De-indexing (पूर्ण deletion नहीं, नाम-खोज निष्क्रिय), Masking Protocol (नाम-पते masked, कानूनी reasoning public), तीन श्रेणियों को राहत (बरी व्यक्ति, वैवाहिक विवाद, incidental parties), Intermediary की IT Rules 2021 के तहत जिम्मेदारी।
- **संतुलन की चुनौती:** RTBF vs Right to Information, RTBF vs Press Freedom, RTBF vs Judicial Transparency — इन तीनों tension पर balanced analysis।
- **निष्कर्ष:** Masking Protocol सर्वोत्तम समाधान है — न पूर्ण deletion, न पूर्ण exposure। DPDP Act के rules बनाते समय HC ढांचे को आधार बनाया जाना चाहिए।

Mains Q2 — अवैध रेत खनन और पर्यावरण (GS-3: पर्यावरण, जैव विविधता, GS-2: शासन)

प्रश्न: भारत में अवैध रेत खनन की समस्या की विवेचना कीजिए। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य के संदर्भ में इसके पारिस्थितिकीय प्रभावों का परीक्षण करते हुए प्रभावी नियामक उपाय सुझाइए।

(250 शब्द / 15 अंक)

मॉडल संरचना:

- **भूमिका:** SC का स्वतः संज्ञान — तीन राज्यों को फटकार — दर्शाता है कि minor minerals का state-level regulation कितना कमज़ोर है।
- **पारिस्थितिकीय प्रभाव:** नदी morphology परिवर्तन, घड़ियाल (IUCN Critically Endangered) के घोंसले स्थलों का विनाश, गंगा डॉल्फिन habitat disruption, भूजल पुनर्भरण में कमी, बाढ़ नियंत्रण क्षमता का हास।
- **मौजूदा तंत्र की विफलता:** MSS satellite monitoring, Sustainable Sand Mining Guidelines 2016, MMDR penalties — सब होते हुए भी खनन माफिया सक्रिय। Enforcement gap।
- **सुझाव:** Real-time GPS tracking of sand transport vehicles, Community-based monitoring with gram sabhas, Riverbed monitoring via ISRO satellite data, Special courts का त्वरित उपयोग, Inter-state coordination mechanism (यहां तीन राज्यों की जिम्मेदारी)।

- **निष्कर्ष:** Chambal अभयारण्य भारत में घड़ियाल का अंतिम viable habitat है। इसकी रक्षा केवल एक प्रजाति की नहीं बल्कि Ganga-Chambal नदी तंत्र की ecological integrity की रक्षा है।

Mains Q3 — ALMM और सौर विनिर्माण (GS-3: ऊर्जा, अर्थव्यवस्था, Atmanirbhar Bharat)

प्रश्न: ALMM List-II के कार्यान्वयन के संदर्भ में भारत की सौर विनिर्माण नीति की चुनौतियों और अवसरों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

(150 शब्द / 10 अंक)

मॉडल संरचना:

- **भूमिका:** ALMM List-II का 1 जून 2026 से लागू होना solar value chain में backward integration की दिशा में निर्णायक कदम।
- **अवसर:** Import dependency में कमी (विशेषकर चीन से), PLI scheme के साथ synergy, Atmanirbhar Bharat लक्ष्य।
- **चुनौतियां:** 200 GW module vs 30 GW cell — capacity mismatch, अल्पकालिक cost escalation, Market consolidation — बड़े players का प्रभुत्व, SMEs पर दबाव।
- **निष्कर्ष:** ALMM short-term pain के बावजूद long-term strategic necessity है। Cell manufacturing capacity विस्तार को PLI incentives से तेज करना होगा।

UPPCS 2024 FINAL SELECTION

Heartiest Congratulations to all successful candidates

“SDM बनकर सिर्फ कुर्सी नहीं मिलती, लोगों की उम्मीदों की जिम्मेदारी मिलती है।”

 RANK 3 (SDM)	 RANK 4 (SDM)	 RANK 7 (SDM)	 RANK 8 (SDM)	 RANK 26 (SDM)
---	---	---	---	---

Call – 9682984000 / 7905693289 | Download – GS World Learning App | offline- “स्टेनली रोड, निकट ट्रैफिक चौक, प्रयागराज”

UPPCS 2024 Final Selection Assistant Commissioner (AC)

Heartiest Congratulations to all successful candidates

 RANK 35	 RANK 38	 RANK 64	 RANK 78	 RANK 81	 RANK 89	 RANK 95	 RANK 100	 RANK 100	 RANK 110
 RANK 113	 RANK 134	 RANK 134	 RANK 141	 RANK 144	 RANK 146	 RANK 147	 RANK 148	 RANK 149	 RANK 150

Call – 9682984000 / 7905693289 | Download – GS World Learning App | offline- “स्टेनली रोड, निकट ट्रैफिक चौक, प्रयागराज”

सामान्य अध्ययन फाउंडेशन बैच **2026-27**

विषय: **भारतीय अर्थव्यवस्था**

STARTING DATE **5 JUNE 2026**
8:30 AM

To Join Our Courses Download GS WORLD Learning App

RAMESHWAR SIR

OFFLINE: PRAYAGRAJ | ONLINE: DELHI

9682984000/7905693289